(b) The details are yet to be worked out by the two counrties mutually.

**Installation of water meters in Moti Bagh, New Delhi**

2813. SHRI SYED AHMAD HASHMI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that water meters have been stolen from the quarters of Moti Bagh, New Delhi, whether it is also a fact that the N.D.M.C. has asked the residents to deposit Rs. 150 for these water meters and in spite of depositing the amount by them no meter has been reinstalled in their quarters and the money deposited for this purpose has not been returned to them so far; and

(b) if so, what are the reasons therefor and how much time will be taken to return the deposit after installation of water meres?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) and (b) The NDMC have informed that in cases where water meters are stolen the residents are required to deposit a sum of Rs. 150 in each case with the Committee as cost of a stolen meter. There are cases where the residents have deposited the cost of stolen water meters with the NDMC but the meters have not yet been insialled. NDMC are reported to be awaiting reports from the CPWD regarding shifting of meter chambers inside the quarters in these cases. The CPWD have been advised to expedite shifting of the meter chambers quickly. The cost of water meters deposited by the residents with the NDMC will be reimbursed by the CPWD to the allottees immediately after installation report is received by them from NDMC.

**मोती बाग, नई दिल्ली में 80 वर्ग गज वाले प्लाट**

2314. **श्री धलेश्वर मीणा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोती बाग जे० जे० कालोनी में 80 वर्ग गज के प्लाटों की कुल संख्या कितनी है और इन प्लाटों के मूल आवंटितियों और खरीददारों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्लाटधारियों ने अनधिकृत रूप से दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा कर लिया है और उस पर बगीचे लगा लिए हैं ; यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन्हें सरकारी भूमि पर बगीचे लगाने की अनुमति दे दी थी और यदि नहीं तो क्या उनसे सरकारी भूमि को वापिस ले लिया जाएगा ; और

(ग) इस भूमि पर कुल कितने नये प्लाटों के काटे जाने की संभावना है और सरकार को इससे कितना आर्थिक लाभ होगा ;

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) इस कालोनी में 80 वर्ग गज से लेकर 92 वर्ग गज तक विभिन्न आकारों के 299 प्लाट हैं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मूल आवंटितियों और अनधिकृत खरीददारों की संख्या का पता लगाने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । 1981–82 में किये गये एक छोटे सर्वेक्षण के अनुसार इस कालोनी में मात्र 46 मूल आवंटी थे ।

(ख) कुछ दखलकारों ने अपने प्लाटों से लगी भमि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमति लिये बिना ही बगीचे बना लिये हैं और कानून के अनुसार इन अतिक्रमणों को हटाया जा सकता है ।

(ग) इस कालोनी में नये प्लाट काटने की दिल्ली विकास प्राधिकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।